

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 14 अप्रैल, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अन्तर्गत परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान वैश्विक पटल पर अधिकांश राष्ट्र डी-कार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता पूर्वक कर रहे हैं। जीवश्म ईंधन की तेजी से होती हुयी कमी तथा ईंधन के मूल्य में उत्तरोत्तर होती वृद्धि एवं वाहनों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण-प्रदूषण के दृष्टिगत अपेक्षाकृत सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन का अंगीकरण आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश अपनी परिवहन प्रणाली, जो देश की सबसे बड़ी परिवहन प्रणालियों में से एक है, को प्रदूषण रहित करने हेतु कटिबद्ध है। देश के त्वरित गति से प्रगति करते हुए अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- उपरोक्त प्रयोजनों के दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-49/2022/3243/77-6-2022-4(एम)/2022 दिनांक 28.12.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022" प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-20/2023/1048/77-6-2023-4(एम)/2022, दिनांक 13.04.2023 द्वारा दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करते हुए समस्त विभागों से उक्त नीति के प्राविधानों के अनुपालन के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

3- अतः औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की उक्त नीति-2022 एवं तत्क्रम में निर्गत दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्राविधानों के अनुपालन के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022" के अन्तर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों, कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं एवं नीतिगत प्रोत्साहन के क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्गत की जा रही है :-

1. "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022" की अधिसूचना की तिथि 28.12.2022 से अगले 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 27.12.2027 तक अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी संशोधन या निरसन तक लागू होगी।
2. उक्त नीति एवं अग्रेतर यथासंशोधित नीति में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ड्राइ पोर्ट्स, अन्तर्देशीय जलमार्ग, कार्गो टर्मिनल, ट्रक पार्क आदि के संदर्भ में विहित नीतिगत, प्रशासकीय, वित्तीय प्रोत्साहन एवं भूमि सम्बन्धी प्राविधान यथावत लागू होंगे।
3. उक्त नीति में परिभाषित शब्द समान रूप से लागू होंगे।

4. **पृष्ठभूमि:-**

(1) पश्चिम बंगाल से झारखंड व बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक विस्तारित कुल 1620 किलोमीटर लम्बाई की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (हल्दिया से प्रयागराज तक) प्रस्तावित है।

(2) पटना से प्रयागराज के मध्य कुल 05 फ्लोटिंग टर्मिनल्स प्रस्तावित हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नवत् अवस्थित होंगे-

- I. बलिया
- II. गाजीपुर
- III. चुनार
- IV. वाराणसी
- V. प्रयागराज

(3) उत्तर प्रदेश में 15 कम्प्यूनिटी जेट्टीस का निर्माण प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	जिला	स्थान
1	वाराणसी	रामनगर
2		सामनेघाट
3		अस्सीघाट (रविदास घाट)
4		राजघाट
5		कैथी
6	चन्दौली	बलुआ घाट
7	गाजीपुर	सैदपुर
8		चोचकपुर
9		जमानिया
10		गाजीपुर (कलेक्टर घाट)
11		दुंगरपुर
12	बलिया	भरौली
13		मझुआ

क्र०सं०	जिला	स्थान
14		कंसपुर
15		सराईकोटा

(4) विशेष कर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले उक्त फ्लोटिंग टर्मिनल्स के माध्यम से उर्वरक, सीमेन्ट, स्टील, खाद्यान्न, सब्जियों एवं फल आदि का वहन एवं आवागमन कार्गो शिप के माध्यम से किये जाने पर, न केवल माल ढुलाई में परिवहन लागत में कमी आएगी, बल्कि इससे सड़कों पर भारी वाहनों के आवागमन का बोझ कम होने के साथ ही प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जलमार्ग के माध्यम से माल वहन की लागत, जोकि सड़क मार्ग के माध्यम से 1.50 रूपये प्रति किमी० तथा रेलमार्ग के माध्यम से 1.00 रूपये प्रति किमी० है, वह मात्र 20 पैसे प्रति किमी० होगी।

(5) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 में उत्तर प्रदेश में अवस्थित फ्लोटिंग टर्मिनल्स से माल वहन हेतु निम्नवत् आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाना आवश्यक होगा:-

- i. सभी फ्लोटिंग टर्मिनल्स पर वेयरहाउस का निर्माण, जहां पर स्थानीय स्तर पर माल, वस्तुओं और कच्चे सामान का सुरक्षित भंडारण किया जा सके।
- ii. टर्मिनल्स पर स्थापित इस वेयरहाउसेज तक माल पहुंचने की सुगमता के दृष्टिगत सड़कों की व्यवस्था तथा आवश्यक संख्या में माल वाहनों के आगमन-निर्गमन की व्यवस्था।
- iii. वर्तमान में राजातालाब (वाराणसी) में एक कार्गो सेंटर का निर्माण हुआ है। 100 मीट्रिक टन की क्षमता के इस कार्गो सेंटर में मौसमी सब्जियों, फल आदि संरक्षित रखने की व्यवस्था है। इसी क्रम में बलिया, गाजीपुर, चुनार, वाराणसी और प्रयागराज में भी फ्लोटिंग टर्मिनल्स के विकास एवं स्थापना के साथ, इन स्थानों पर भी कार्गो सेन्टर्स और वेयरहाउसेज बनाये जाने की आवश्यकता है।
- iv. उक्त कार्यों/वेयरहाउसेज तक, स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ व्यावसायिक माल वहन के लिए एक समग्र/एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी बनाये जाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है।
- v. स्थानीय मंडियों, औद्योगिक इकाइयों तथा फल, सब्जी या कार/मोटरसाइकिल इत्यादि के परिवहन हेतु परिवहन विभाग द्वारा इन उत्पादों का परिवहन कार्गो/वेयरहाउसेज तक करने हेतु फारवर्डिंग एजेंसियों को अधिकृत किया जायेगा या एक

विशिष्ट श्रेणी के परमिट जारी किये जायेंगे, जिसके लिए परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है।

- vi. फारवर्डिंग एजेन्सीज को पंजीकृत किये जाने की शर्तों को शिथिल रखते हुए एक विशेष श्रेणी निर्धारित की जाती है, जो केवल शिपिंग कार्यों के लिए ही लागू होगी।


(6) भूमि एवं अन्य की व्यवस्था-

- I. वेयरहाउसिंग/कार्गो टर्मिनल/लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116(ल0उ0)/2022, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022" में प्राविधानित भूमि की व्यवस्था प्रभावी होगी।
- II. वेयरहाउसिंग/कार्गो टर्मिनल/लॉजिस्टिक्स पार्क की भूमि पर अवस्थापना/आधारभूत संरचनाओं का विकास, जिसमें सड़क, पानी, विद्युत, खानपान तथा शौचालय आदि की सुविधा का विकास भी सम्मिलित है, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/नामित एजेंसी द्वारा उनकी निर्धारित नीति/नियमों के अनुरूप किया जा सकेगा।

(7) परिवहन विभाग द्वारा नीतिगत प्रोत्साहन-

- I. वेयरहाउसिंग/कार्गो टर्मिनल/लॉजिस्टिक्स पार्क तक बेहतर एवं सुगम कनेक्टिविटी के लिए परिवहन विभाग द्वारा ऐसे सभी प्रकार के मालवाहन, जो अनन्य रूप से वेयरहाउसिंग/कार्गो टर्मिनल/लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए उपयोग किये जाएंगे, को उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 तथा तत्क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 13.04.2023 को निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में प्राविधानित नीतिगत एवं वित्तीय प्रोत्साहन यथावर्णित प्रदान किये जायेंगे।
- II. उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नीति के कार्यान्वयन का प्रबंधन किया जायेगा।
- III. उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 के पत्र संख्या-03/2022/1761/तीस-4-2021, दिनांक 05.01.2022 द्वारा अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रेशन एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अधिसूचना निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रेशन हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), परिवहन विभाग को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), परिवहन विभाग को सर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है।

4- कृपया तदनुसार "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022" के परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एल0 वैकटेश्वर लृ)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
- 5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/
(लुटावन राम)
विशेष सचिव।